

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या :- 535/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय : टाइटन्स इन्डस्ट्रियर्स, 10, सेन्ट्रल मार्ग, विद्याधर नगर,
जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स एस. ए. जैन्स वास्ते प्रोग्रार्डिटर अनित गोलेठा पुत्र नागकचन्द गोलेठा,
निवासी : 5458, केजीबी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर।
2. मैसर्स आर. एन. जैन्स वास्ते प्रोग्रार्डिटर स्व० नागकचन्द गोलेठा पुत्र राजनल गोलेठा द्वारा
विधिक उत्तराधिकारी,
(क) अनित गोलेठा पुत्र नागकचन्द गोलेठा (पुत्र-विधिक उत्तराधिकारी),
निवासी : 5458, केजीबी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर।
(ब) श्रीमती रश्मि कोठारी पत्नी नितिन कोठारी (पुत्री-विधिक उत्तराधिकारी)
निवासी : 21, जनरल मुखिया, मुदाली स्ट्रीट, साव कारपेट, चैन्दाई।

अग्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री राकेश अजमेरा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 29.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अग्रार्थी ऋणी को दिनांक
29-08-2017 को पुनर्मुर्गतान हेतु जनानत प्रतिमृति के रूप में अग्रार्थी श्री नागकचन्द गोलेठा पुत्र
श्री राजनल गोलेठा के स्वामित्व की सम्पत्ति 5458, केजीबी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर
संक्रमल 809 वर्गफीट को बन्धक रख कर 54,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई
गई थी। अग्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असमर्थ रहने पर
अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अग्रार्थी ऋणी को दिनांक 14-02-2022 को रजिस्टर्ड
नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं
करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक
पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर
से सुना गया। पत्रवली का मतीनाति अवलोकन किया गया।

47
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अदालत से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 54,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 48,67,168/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 14.02.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री माणकचन्द गोलेछा पुत्र श्री राजमल गोलेछा के स्वामित्व की सम्पत्ति 5458, केजीबी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर क्षेत्रफल 809 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दायित्व दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 29.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर